तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
15/3/18	पत्रावली पेश हो। वकील पक्ष-34 [illegible] पत्रावली वास्ते जवाब [illegible] 18/4/18 को पेश हो।
18/4/18	पत्रावली का लोक अदालत हेतु चयन किया गया, पक्षकारान को नोटिस जारी हो पत्रावली दिनांक कैम्प लोक अदालत 5.6.18 को पेश हो।
5/6/18	पत्रावली लोक अदालत केम्प मोरपा में पेश हुई। उपस्थित पक्षकारों को सुना गया। प्रकरण से सम्बन्धित एक अन्य वाद मिसल नम्बर 24/14 बउनवानी कमला बाई बनाम राजस्थान सरकार अन्तर्गत धारा 88–89–188 आरटीएक्ट 1955 में वादिया द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया तथा पूर्व से ही उक्त प्रकरण की वादगत तथा प्रस्तुत प्रकरण की वांछित भूमि पर कब्जा नहीं होनें के कारण वाद खारिज करनें का निवेदन किया गया। उपस्थिति वादिया की पहचान करवाई गई। शपथ पत्र शामिल मिसल किया गया। हस्तगत प्रकरण तथा मिसल नम्बर 24/14 में वादगत भूमि एवं पक्षकार समान होनें के कारण उक्त उनवानी प्रकरण तथा इस प्रकरण को क्लब्ड किया जाकर सुनवाई किया जाना उचित पाया जाता है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण सं0 24/14 तथा हस्तगत उनवानी प्रकरण रामचन्द्र बनाम राजस्थान सरकार मिसल नम्बर 260/09 को एक साथ ही विनिश्चय किया जाना उचित मानते हुए विनिश्चय किया जा रहा है। हस्व रजिस्टर्ड बयनामा उप पंजीयक दीगोद दिनांक 14.07.1972 के द्वारा सूरजमल, धन्नालाल पुत्र भंवरलाल जाति महाजन से ग्राम मोरपा की भूमि ख0नं0 36 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा व ख0नं0 39 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा भूमि कय की गई थी। उक्त कय शुदा भूमि पर राजस्थान काश्तकारी कानून चैप्टर थर्ड (बी) की कार्यवाही विचाराधीन थी, अन्य खसरा नम्बरान सहित ख0नं0 39 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा को असेसी द्वारा विकल्प में अपनें पास रखकर भूमि राजहक में सरेण्डर कर दी। उक्त विकल्प असेसी द्वारा दिनांक 22.06.1976 को दिया गया अर्थात् असेसी

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

द्वारा जानबूझ कर वादी की भूमि ख0नं0 36 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा को राजसात हेतु समर्पित किया। असेसी को पता था कि उसके द्वारा ख0नं0 36 व 39 दोनों का बैचान कर दिया गया है, तो ख0नं0 39 को विकल्प में अपने पास रख लिया तथा ख0नं0 36 को सिवाय चक दर्ज करनें हेतु समर्पित कर दिया, जो त्रुटिपूर्ण कृत्य की परिधी में आता है।

जब वादी द्वारा भूमि क्रय कर ली गई थी, तो सीलिंग कानून के अनुसार नियत अवधि के उपरान्त क्रय करनें के कारण उक्त बैचान को मान्यता नहीं दी जा सकती। इस कारण वक्त गणना उक्त भूमि को असेसी के खातें में मानकर ही गणना ही जानी थी तथा सीलिंग कानून के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार जब तक असेसी के खातें में स्वच्छ और भार रहित भूमि विद्यमान हो तब तक दूषित और भारयुक्त भूमि को अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। प्रकरण में वादगत ख0नं0 39 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा को भी असेसी के द्वारा अपनें पास रखनें के विकल्प के उपरान्त भी ख0नं0 36 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा के साथ सिवाय चक दर्ज कर दिया, जो प्रकरण में विचित्र स्थिति को दर्शित करता है। उक्त दोनों ख0नं0 36 व 39 में सीलिंग सिवाय चक दर्ज हो जानें पर उक्त भूमि को दिनांक 31.05.1986 को राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण नियम 1973 के नियम 20 के तहत आवंटित की जाकर कमला बाई तथा बिरजी बाई को गैरखातेदार अंकित कर दिया।

आवंटन होनें के उपरान्त वादी ने धारा 75 के तहत एक अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष पेश कर निवेदन किया कि वादी उक्त भूमि का केता है तथा भूमि के आवंटन पर माननीय राजस्व मण्डल का स्थगनादेश प्रभावी होतें हुये भी आवंटन कर दिया है, जिसे निरस्त किया जावें। इस पर माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा अपनें प्रकरण सं0 293/84 व 294/84 में दिनांक 19.06.1992 को निर्णय पारित किया कि "पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि यदि वक्त आवंटन राजस्व मण्डल का स्थगनादेश वजूद में हो तो रेस्पोडेण्ट के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त माना जावें, और यदि स्थगनादेश वजूद में नहीं था तो रेस्पोडेण्ट के पक्ष में किया गया आवंटन बहाल रहेगा।"

प्रकरण में वादी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में मि0नं0 29/85 धन्नालाल बनाम सरकार आदेशिका दिनांक 11.02.1985 आगामी पेशी दिनांक 12.04.1985 की प्रमाणित प्रति पेश की जिससे प्रमाणित होता है कि प्रकरण पर स्थगनादेश प्रभावी था और माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो किस तामील

निर्णय अनुसार जो दिनांक 19.06.1962 को पारित किया गया है तथा वर्तमान में उक्त निर्णय की अपील नहीं होनें के कारण अंतिम है, के अनुसार माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के स्थगनादेश के अस्तित्व में रहनें की अवस्था में किया गया आवंटन निरस्त माना जानें की विधिक अवधारणा की जावेगी, अर्थात् प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 के पक्ष में किये गये आवंटन को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान आदेश दिनांक 11.02.1985 तथा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 19.06.1962 की रोशनी में किये गये प्रकरण वर्जित भूमि के आवंटन तथा उक्त आवंटन के परिणामस्वरूप प्रतिवादी नं0 2 व 3 का जो नाम बतौर आसामी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, उसे विधिवत् प्रभाव शून्य घोषित किया जाता है।

अतः प्रतिवादी नं0 2 व 3 के नाम किये गये भूमि आवंटन के निरस्त होनें के परिणामस्वरूप उक्त भूमि साबिक ख0नं0 36 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा व ख0नं0 39 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कुल 4 बीघा 13 बिस्वा के हाल ख0नं0 वाके माल मौजा मोरपा को सीलिंग सिवायचक दर्ज किया जावें। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प मोरपा में सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रट दीगोद जिला कोटा लोक अदालत केम्प मोरपा

उनवान

रामचन्द्र पुत्र भैरूलाल जाति माली निवासी मोरपा तहसील दीगोद जिला कोटा

– वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा
2. बिरजी बाई जोजे रतना जाति बलाई निवासी मोरपा
3. कमला बाई जोजे मोडू लाल जाति कहार निवासी मोरपा तहसील दीगोद जिला कोटा

– प्रतिवादीगण

वाद बाबत् आवंटन निरस्त करनें एवं आवंटित की गयी भूमि को प्रार्थी को आवंटन किये जानें के सम्बन्ध में

मिसल नम्बर– 260/09

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि " प्रतिवादी नं0 2 व 3 के नाम किये गये भूमि आवंटन के निरस्त होनें के परिणामस्वरूप उक्त भूमि साबिक ख0नं0 36 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा व ख0नं0 39 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कुल 4 बीघा 13 बिस्वा के हाल ख0नं0 वाके माल मौजा मोरपा को सीलिंग सिवायचक दर्ज किया जावें। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो।" तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 05.06.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner